न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 109/2021 (2021/299)

नाथू पुत्र छोटू जाति माली निवासी कादेडा उप तहसील कादेडा तहसील केकड़ी

––प्रार्थी

बनाम

1. धीसी देवी पत्नि महावीर
2. बनवारी पुत्र महावीर
3. धर्मराज पुत्र महावीर
4. रामावतार पुत्र महावीर
5. सन्तोष देवी पत्नि स्व. श्री पुरूषोत्तम
6. वेदिका पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम
7. गजराज पुत्र स्व. श्री पुरूषोत्तम
   नाबालिग जरिये वली एवं प्राकृतिक संरक्षक माता अप्रार्थी संख्या 5 सन्तोष देवी पत्नि श्री पुरूषोत्तम
8. कृष्णगोपाल पुत्र बन्शीदास
9. उर्मिला पुत्री बन्शीदास
10. गीता पुत्री बन्शीदास
11. रामेश्वर पुत्र बन्शीदास
12. विष्णु प्रसाद पुत्र बन्शीदास
13. शंकर पुत्र बन्शीदास
    समस्त जाति साधू निवासीगण कादेडा उप तहसील कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
14. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

1. श्री मीठूसिंह–प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री निर्मल चौधरी–अप्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक – 22/12/2022

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया पुराना		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
821	515	1501	0.31	बारानी–1
		किता 1	रकबा 0.31 हैक्टर	

उपरोक्त वाद वर्णित आराजी की सीमाओं की स्थिति क्रमशः पूर्व – चन्द्र गुरू का खेत, पश्चिम – उगमा माली का खेत, उत्तर – घीसा गोड का खेत, दक्षिण – लादूराम कुर्मी का खेत है। वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1501 जिसके पुराने खसरा नम्बर 450 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा अराजी किस्म बारानी, अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 के पूर्वज वंशी पिता भूरदास कौम साधू की खातदारी में पुराने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वंशी पुत्र भूरदास ने वाद वर्णित आराजी पुराने खसरा नम्बर 450 को प्रार्थी के पिता छोटू पुत्र ओंकार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19.07.1979 को प्रतिफल की राशि 1400/– रूपये प्राप्त कर बैचान कर दी जो विक्रय की दिनांक से प्रार्थी के पिता छोटू पुत्र ओंकार की खातेदारी, कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिस एवं वैद्य उत्तराधिकारीगण प्रार्थी की माता जीवणी व प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग मे पुश्तैनी रूप से चली आ रही है। प्रार्थी की माता की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी के माता पिता का एकमात्र विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी प्रार्थी है जिसके कब्जे स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी, उपयोग उपभोग मे बरोक टोक निरन्तर चली आ रही है जिसमे प्रार्थी के अलावा दीगर व्यक्ति या अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 का कानूनन हक अधिकार नही है। प्रार्थी के पिता की [illegible] प्रार्थी के जन्म के एक–दो वर्ष बाद ही हो गई तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रार्थी [illegible]ता की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त आराजी का नामान्तकरण विक्रयपत्र दिनांक 19.07.1979 से प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज नही हुआ एवं तत्पश्चात प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता को नामान्तकरण की जानकारी नही होने से नामान्तकरण / खातेदारी में दर्ज नही करवा सके तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 के नाम गलत खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 स्व. बंशी पुत्र भूरदास साधू के वारिसान है, बन्शी एवं उसकी पत्नि मांगी देवी की मृत्यु हो चुकी है। बन्शी का बडा पुत्र महावीर फोत हो चुका है जिसके वारिस अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 की नियत बद है तथा दिनांक 10.08.2021 को वाद वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द, बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थी को प्रार्थी के पिता की छोटू की खरीदशुदा पुश्तैनी आराजी से बेदखल करने एवं फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकी दी। अप्रार्थीगण को ऐसा करने से मना करने पर लडाई–झगडा करके ऐलानियां उपरोक्तानुसार धमकियां दी। राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाने पर प्रार्थी को पता चला कि उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में नही है। वादग्रस्त आराजी को प्रार्थी के पिता ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 के पूर्वज बन्शी पुत्र भूरदास से क्रय यानी विक्रय दिनांक से प्रार्थी के पूर्वज व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी में पुश्तैनी रूप से चली आ रही है। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 स्वयं व उसके नोकर चाकर हाली सीरी, परिवार के सदस्यगण, एजेन्ट, मुख्तयार आम व खास, कर्मचारी, अधिकारी आदि को वाद वर्णित आराजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 450 वर्तमान खसरा नम्बर 1501 रकबा 0.31 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने एवं न ही अतिक्रमण कर जबरन बैदखल करने, आराजी को नष्ट भ्रष्ट / स्वरूप परिवर्तन नही करने एवं अन्तरण, रहन, बैचान, बक्षीस किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

[illegible]र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,4,10 के बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उ[illegible]के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण 1,2,3,5,8,13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के –

[illegible]रा संख्या 01 में वर्णित कथन मनगडन्त, झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है अतः गलत व अस्वीकार है। पेरा संख्या 02 में वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है तथा वादग्रस्त आराजी की सीमाएं स्वयं सिद्ध करें। पेरा संख्या 03 में वर्णित कथ गलत एवं अस्वीकार है। पेरा संख्या 04 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पेरा संख्या 05 में वर्णित कथन इतना ही स्वीकार है कि बंशी पुत्र भूरदास साधू की मृत्यु हो चुकी है, बकाया कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। पेरा संख्या 06 में वर्णित कथन गलत एवं अस्वीकार है। पेरा संख्या 07 में वर्णित कथन गलत एवं अस्वीकार है। पेरा संख्या 08 में वर्णित कथन गलत व अस्वीकार है, प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा अप्रार्थीगण वर्षो से कब्जा काश्त कर पैदावार प्राप्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी सन फसली 1358 में खसरा नम्बर 1430 रकबा 1|||)3 है जो माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम है तथा उक्त आराजी सम्वत 2022 में खसरा नम्बर 450 रकबा 1|||)3 गलती व सहवन से बंशी पुत्र भूरदास के नाम आ गयी है तथा उक्त आराजी के समवत 2069–72 में खसरा नम्बर 1501 रकबा 0.31 हैक्ट बने है तथा उक्त आराजी को दिनांक 19.07.1979 में बंशी पुत्र भूरदास ने विक्रयपत्र करवाया गया है वह अवैधानिक होने से निरस्तनीय है क्योंकि उक्त आराजी सम्वत फसली 1358 में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम थी जिससे प्रार्थी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण 1,2,3,5,8,13 का जवाब प्रार्थनापत्र रिकॉर्ड पर लेकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अधिवक्तागण की बहस पर गौर किया। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम कारेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खाता संख्या [illegible] 821-515 के खसरा नम्बर 1501 रकबा 0.31 हैक्टर पर प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। वाद वर्णित आराजी को खुर्द-बुर्द/किसी अन्य को बेचान रहन हस्तान्तरित नहीं करे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिकेश पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)